बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब–8/2013– 126(m1) पटना, दिनांक 30-1-2017

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, गया/राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7/राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी/राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा/राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा/राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति परपूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष – 104– बहुशिल्प, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष –0210– मौजूदा पोलिटेकनिक का उन्नयन" (पी॰एफ॰एम॰एस॰ कोड–9170) विपत्र कोड – पी 4202021040210 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3083, दिनांक 16.12.2016 के द्वारा विभागान्तर्गत मौजूद 8 (आठ) पोलिटेकनिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना–"UPGRADATION OF EXISTING POLYTECHNICS" अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रू॰ 9,40,00,0000=00 (नौ करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि रू॰ 9,40,00,0000=00 (नौ करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 एवं पत्रांक–1211, दिनांक 15.12.2016 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षें में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27.01.17

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

25/01/17

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना बजट के "मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति परपूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष– 02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष – 104– बहुशिल्प, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष –0210– मौजूदा पोलिटेकनिक का उन्नयन" (पी॰एफ॰एम॰एस॰ कोड–9170) (विपत्र कोड– P 4202021040210) के अधीन अवंटित राशि की विवरणी

विपत्र कोड– P 4202021040210 **(राशि रूपये में)**

विषयशीर्ष	रा॰ पो॰ गया	रा॰ पो॰ पटना–7	रा॰पो॰ बरौनी	रा॰ पो॰ छपरा	रा॰ पो॰ गोपालगंज	रा॰ पो॰ सहरसा	रा॰ पो॰ मुजफ्फरपुर	रा॰ म॰ पो॰ मुजफ्फरपुर	कुल
52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	14000000	14000000	14000000	10000000	10000000	12000000	12000000	8000000	94000000
कुल	**14000000**	**14000000**	**14000000**	**10000000**	**10000000**	**12000000**	**12000000**	**8000000**	**94000000**
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

(क) एक करोड़ चालीस लाख रूपये मात्र।
(ख) एक करोड़ चालीस लाख रूपये मात्र।
(ग) एक करोड़ चालीस लाख रूपये मात्र।
(घ) एक करोड़ रूपये मात्र।
(ङ) एक करोड़ रूपये मात्र।
(च) एक करोड़ बीस लाख रूपये मात्र।
(छ) एक करोड़ बीस लाख रूपये मात्र।
(ज) अस्सी लाख रूपये मात्र।
(झ) नौ करोड़ चालीस लाख रूपये मात्र।

27-01-17

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

25/01/17